रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 29 सितम्बर, 1987/7 आश्विन, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1987

संख्या कल्याण(ए)-1-1/87 (पी०टी०).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है की जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 1986 के अधीन भेजे जाने वाले अपेक्षित किशोरों के प्रवेश के लिए शिशु गृह, सुन्दर नगर एक उपयुक्त स्थान है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 1986 (1986 का 53) की धारा 9 की उप-धारा (21) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शिशु-गृह, सुन्दरनगर को 2-10-1987 से किशोर गृह के रूप में घोषित करते हैं।

आदेश द्वारा,
अरविन्द कौल,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.), dated* 26-9-87 *under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th September, 1987

No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.).—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the Children Home, Sundernagar is fit for the reception of the neglected Juveniles to be sent thereunder the Juvenile Justice Act, 1986.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Juvenile Justice Act, 1986 (Act No. 53 of 1986), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to certify the Children Home at Sundernagar as "Juvenile Home" for the pusposes of the Act *ibid*, *w.e.f.* 2-10-1987.

By order,
ARVIND KAUL,
Secretary.

समाज और महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1987

संख्या कल्याण (ए) 1-1/87(पी0टी0).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जुवेनाइल ऐक्ट, 1986 की धारा 57 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शित अधिकारिता में विशेष गृह, किशोर-गृह और संप्रेक्षण गृह के निरीक्षण के लिए 2-10-87 से परीक्षा अधिकारी एवं अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी	अधिकारिता
1	2	3
1.	समस्त जिला कल्याण अधिकारी	अपना-अपना जिला

क्रम सं0	निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी	अधिकारिता
1	2	3
1.	संयुक्त निदेशक/निदेशक कल्याण	सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश

आदेश द्वारा,
अरविन्द कौल,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.), dated 26-9-87 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th September, 1987

No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.).—In exercise of the powers conferred by sub-secion (1) of section 57 of the Juvenile Justice Act, 1986, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following Officers as Probation Officers and Officers for Inspection of Special Homes, Juvenile Homes and Observation Homes for the purposes of the aforesaid Act, within the jurisdiction shown against each officer with effect from 2-10-1987:—

Sl. No.	Officer who are appointed as Probation Officers	Jurisdiction
1	2	3
1.	All the District Welfare Officers	With district

Sl. No	Officers who is appointed Officer for Inspection	Jurisdiction
1	2	2
1.	Joint Director/Director of Welfare	For whole of Himachal Pradesh

By order,
ARVIND KAUL,
Secretary.

समाज और महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1987

संख्या कल्याण (ए)-1-1-87(पी0टी0).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह राय है कि ऊना की विशेष पाठशाला, जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 1986 के अधीन किशोरों के विरुद्ध लम्बित जांच के दौरान, उनके अस्थायी प्रवेश के लिए एक उपयुक्त स्थान है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट 1986, की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष पाठशाला ऊना को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2-10-87 से संप्रेक्षण गृह के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
अरविन्द कौल,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.), dated* 26-9-87 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th September, 1987

No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.).—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that Special School at Una is fit for the temporary reception of juveniles during the pendency of any inquiry against them under the Juvenile Justice Act, 1986.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Juvenile Justice Act, 1986, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to recognise the Special School at Una as an observation Home for the purposes of the Act *ibid* with effect from 2-10-1987.

By order,
ARVIND KAUL,
Secretary.

समाज और महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1987

संख्या कल्याण (ए) 1-1/87-(पी0टी0).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 1986 के अधीन भेजे जाने वाले उपन्यारी किशोरों के प्रवेश के लिए विशेष पाठशाला ऊना एक उपयुक्त स्थान है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 1986 की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पाठशाला ऊना को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2-10-87 से विशेष गृह के रूप में घोषित करते हैं।

आदेश द्वारा,
अरविन्द कौल,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Kalyan(A) 1-1/87 (Pt.), dated* 26-9-87 *under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla 2, *the* 26*th September*, 1987

No. Kalyan (A) 1-1/87 (Pt.).—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the Special School at Una is fit for the reception of the delinquent Juveniles to be sent thereunder the Juvenile Justice Act, 1986.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Juvenile Justice Act, 1986, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to certify the Special School at Una as Special Home for the purposes of the Act *ibid*, with effect from 2-10-1987.

By order,
ARVIND KAUL,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।